डॉ. आलोक शुक्ला भा.प्र.से.
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, एस-3/24,
नवा रायपुर, अटल नगर, पिन कोड - 492002
फोन : +91(0771) 2221120, 2510349
ई-मेल : ps.edu.cg@gmail.com

अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. F 5-26/2019/प्र.स.
दिनांक 23.03.2023

विषयः—बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में।

प्रिय कलेक्टर साहब,

राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की महत्वकांक्षी योजना 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना की स्वीकृति का आदेश इस पत्र के साथ संलग्न है। इस आदेश में योजना की पात्रता एवं अपात्रता की शर्तें, स्वीकृति की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। कृपया इसका अध्ययन कर लें एवं अपने जिले में 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन प्राप्त करने तथा आवेदन स्वीकृति के संबंध में तैयारी पूर्ण कर लें।

इस योजना के अंतर्गत केवल ऑन लाईन आवेदन लिये जायेंगे जिसके लिये एक वेब पोर्टल एनआईसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है । वेब पोर्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शीघ्र किया जाएगा। यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल पर आवेदन करने, आवेदन पत्रों का सत्यापन करने एवं स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश जारी करने की प्रकिया इस योजना की मार्गदर्शिका में दे दी गई है जो अतिशीघ्र संचालक, रोज़गार एवं प्रशिक्षण द्वारा आपको भेजी जाएगी । पोर्टल के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण का कार्य राज्य स्तर पर मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा जिसकी तिथि एवं समय की सूचना संचालक द्वारा पृथक से दी जाएगी।

योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाना है, जिसके लिये गावों एवं शहरों के वोर्डों के क्लस्टर बनाया जाना है, तथा प्रत्येक क्लस्टर के लिये सत्यापन टीम का गठन किया जाना है । क्लस्टर इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि 01 क्लस्टर में बहुत अधिक आवेदन पत्र न हों और भीड़भाड़ से बचा जा सके। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया इत्यादि की व्यवस्था

भी करनी होगी । इस बात का ध्यान रखें कि आवेदनों के सत्यापन की जानकारी ऑनलाईन ही भरी जानी है इसलिये सत्यापन स्थल पर कम से कम 5 कम्प्यूटर कम इंटरनेट सुविधा के उपलब्ध होना चाहिए जिससे आवेदकों को बहुत अधिक इंतजार न करना पड़े । सत्यापन दल में भी पर्याप्त सदस्य होना चाहिए। सुझाव है कि स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य ऐसी संस्थाओं में सत्यापन कराया जाये जहां पर पहले से ही इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर उपलब्ध हों तथा आवेदकों के बैठने के लिये पर्याप्त व्यवस्था हो। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि योजना प्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में आवेदन भरे जाएंगे । आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदके के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा । इसके लिये आवेदन में उनके बैंक खाते की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा । साफ्टवेयर में इस बात की प्रविष्टि करनी है कि बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर द्वारा कर दिया गया है अथवा नहीं । जब तक बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापन नही किया जाता तब तक आवेदकों को डीबीटी द्वारा भुगतान नही किया जाएगा, इसलिये यह कार्य भी शीघ्र करने की आवश्यकता होगी।

कृपया इस बात का ध्यान रखे कि यह अत्यंत महत्वकांक्षी योजना है एवं प्रदेश के युवाओं में इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह है इसलिये आपको व्यक्तिगत रूचि लेकर इस योजना की सफलता के लिये तत्परता से कार्य करना होगा ।

शुभकामानाओं सहित।

आलोक शुक्ला

(डॉ. आलोक शुक्ला)

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / एफ 5.26 / 2019 / रो.वि. नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 23 / 03 / 2023
प्रतिलिपिः—

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी,
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
5. सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग,
6. संचालक, रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा विभाग,
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. रायपुर,
8. आयुक्त नगर निगम समस्त,
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त,
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त,
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत समस्त,

की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
रोजगार प्रशिक्षण एवं
कौशल विकास तकनीकी शिक्षा

272

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/02/2023

क्रमांक / एफ 5–26 / 2019 / रो.वि. / 42 : राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 01.04.2023 से रूपये 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त योजना की शर्तें परिशिष्ट–अ अनुसार होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

28/2/2023

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
a/c तकनीकी शिक्षा एवं
रोजगार विभाग

पृ.क्र. एफ 5–26 / 2019 / रो.वि. / 42, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / 02 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ , मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, सचिवालय रायपुर,
4. शासन के समस्त विभाग,
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर,
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
7. सचिव, मानव अधिकार / सूचना / राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
8. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
10. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
11. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
12. संचालक, जनसम्पर्क / रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ रायपुर,
13. समस्त रोजगार अधिकारी, छत्तीसगढ़,

14. समस्त माननीय मंत्रीगण के विशेष सहायक,
15. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पाइंट, रायपुर।
16. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
17. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा एवं
रोजगार विभाग

परिशिष्ट–अ

छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि

––0––

1. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
3. आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रेल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
4. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो।
5. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हों एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
6. आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय रूपये 2,50,000/– वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता–पिता।

2/ बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्ते :–

निम्नांकित मापदण्डों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र होंगे:–

- एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा।
- आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप–डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।

- यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
- पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
- वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
- अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

3/ **<u>बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया :–</u>**

- बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा।
- संबंधित जनपद पंचायतें एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकार्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे।
- संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र है अथवा नहीं।
- पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जायेगी।
- जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी।

28/2/2023

276

- यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जायेगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात् संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा।
- संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये हैं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात् अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा।
- जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

28/2/2023

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा एवं
रोजगार विभाग